हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

संख्याःपीसीएच–एचए (1) 1/2019–55174-177 शिमला–171009 दिनांक 26.8.2020.

अधिसूचना

क्योंकि उपायुक्त, सिरमौर के माध्यम से विभाग में प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर जिला सिरमौर के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप–धार (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सिरमौर, के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को निम्नानुसार पुनर्गठित करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ई–राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला सिरमौर के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते है;

यदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन व फेरबदल इत्यादि के संबन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वह अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 7 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला सिरमौर, को प्रस्तुत कर सकेगें। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला सिरमौर के निम्न अनुसूचि में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला सिरमौर, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

| क0 सं0 | ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ ग्रामों को अपवर्जित किया जाना है। | कोष्ठ संख्या–2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम। | कोष्ठ संख्या–2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित हाने वाले ग्रामों के नाम। | ग्राम सभा का नाम जिसमें कोष्ठ संख्या–4 में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित किया जाना है। | कोष्ठ संख्या–5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त ग्रामों के नाम। | कोष्ठ संख्या–3 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | विकास खण्ड का नामः–राजगढ़ | | | | | | |
| 1. | भुईरा | 1. थानाधार | भाट का स्याना | शलाणा | 1. शलाणा | 1. थानाधार | |
| | | 2. भुईरा | | | 2. राजगढ़ | 2. भुईरा | |
| | | 3. थनोगा | | | 3. भाट का स्याना | 3. थनोगा | |
| | | 4. भाट का स्याना | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याःपीसीएच–एचए (1)1/2019– 55174-177 शिमला–171009 दिनांक 26.8.2020.

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू निम्नलिखित को प्रेषित हैः–**

1. उपायुक्त, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह इस अधिसूचना के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त आप्पतियों/आक्षेपों, यदि कोई हों, का तुरन्त निपटारा करके अपनी अन्तिम सिफारिश आप्पतियों तथा आक्षेपों को प्राप्त करने की अन्तिम तिथि से 3 दिनों की अवधि के भीतर विशेष वाहक द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करें।
2. जिला पंचायत अधिकारी, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना का सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें।
3. समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना का सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें।
4. समस्त सम्बन्धित प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना की प्रति का ग्राम सभा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत के सूचना पटट् पर चसपान सुनिश्चित करवाएगें तथा इस अधिसूचना का समस्त ग्राम सभा क्षेत्र में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें।

**संयुक्त सचिव (पं0राज),**
**हिमाचल प्रदेश सरकार।**